

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 10854/2026
URN: CW / 24102U / 2026

Divyansh Gupta, Son Of Dr. Yogesh Kumar Gupta

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Yogesh Kumar Gupta
For Respondent(s)	:	

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

03/07/2026

याचिकाकार के विद्वान अधिवक्ता ने प्रकट किया कि याचिकाकार अयाची संख्या-3 महाविद्यालय का विद्यार्थी रहा है तथा अयाची संख्या-5 विश्वविद्यालय से उक्त महाविद्यालय सम्बद्ध (affiliated) है। उनका तर्क है कि अयाची संख्या-5 के प्रधानाचार्य अयाची संख्या-2 के व्यवहार की शिकायत दिनांक 27.05.2026 को एस. एस. जैन सुबोध महाविद्यालय की शिक्षा समिति के अध्यक्ष एवं सचिव को दी है। उनका कथन है कि ऐसी शिकायत के सम्बन्ध में भारतीय विधि परिषद (Bar council of India) ने प्रत्येक महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय जो कि विधि शिक्षा दे रहा है, में छात्र शिकायत निवारण समिति (Student Redressal Grievance Committee) की स्थापना के निर्देश दिए हुए हैं और उक्त समिति को ऐसी शिकायत पर जांच कर रिपोर्ट देनी होती है। परंतु उनके द्वारा प्रस्तुत शिकायत पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही किए जाने की उन्हें कोई सूचना नहीं है।

अयाचीगण को चार सप्ताह में वापसी योग्य नोटिस जारी किए जावें। इस हेतु याची आदेशिका शुल्क एवं नोटिस मय अतिरिक्त प्रति पेश करें।

(SHUBHA MEHTA),J